

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/एक्स-34 पार्ट-2/2024/ 116 दिनांक:- 21/3/24

--: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	शारदा व्यास म0स्वा0कार्य0	मु.चिकि.एवं.स्वा. अधिकारी जोधपुर	06.03.1964	24.11.1989	31.03.2024
2.	महेश बच्चन नर्सिंग ऑफिसर म0स्वा0कार्य0	क.रा.बी. चिकित्सालय जोधपुर	13.06.1964	20.07.1990	30.06.2024
3.	संतोष सोलंकी म0स्वा0कार्य0	मु.चिकि.एवं.स्वा. अधिकारी बालोतरा	06.04.1964	05.06.1991	30.04.2024
4.	पेनम्मा एम.ए. म0स्वा0कार्य0	मु.चिकि.एवं.स्वा. अधिकारी जालोर	28.05.1964	13.01.1997	31.05.2024
5.	गणेशाराम नर्सिंग ऑफिसर	मु.चिकि.एवं.स्वा. अधिकारी जालोर	06.07.1964	18.08.1987	31.07.2024
6.	लूसम्मा चैरियन म0स्वा0दर्शिका	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय बाली पाली	27.05.1964	08.02.1994	31.05.2024
7.	नीलम मिश्रा म0स्वा0कार्य0	उप स्वास्थ्य केन्द्र लेटा खण्ड जालोर	12.11.1964	19.09.1998	30.11.2024
8.	शीला पी. म0स्वा0दर्शिका	मु.चिकि.एवं.स्वा. अधिकारी सिरोही	16.05.1964	17.12.1985	31.05.2024
9.	सुमा के. एन. म0स्वा0दर्शिका	मु.चिकि.अधिकारी सांचोर	28.05.1964	06.09.1986	31.05.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्रमा के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6235097



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation: Director
Date: 2024.03.21 12:16:00 IST
Reason: Approved

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/एक्स-34 पार्ट-2/2024/ 116
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 21/3/24

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालोर/बालोतरा/सांचोर
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
5. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी. अनुभाग, अराजपत्रित, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6235097

Digitally signed by F. Ash Kumar
Sharma
Designation: Director
Date: 2024.03.21 12:16:00 IST
Reason: Approved